भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096

Government of India
Ministry of Commerce & Industry
SEEPZ Special Economic Zone Authority
Andheri (E), Mumbai - 400096

वेबसाइट: www.seepz.gov.in | ई-मेल: dcseepz-mah@nic.in | टेलीफोन: 022-28290856/28294700

F. No. SEEPZ-SEZ/Estate/NOMT/518/2016-17/04258 Date: #ApprovedDate#

Circular No. 16 /2026

विषय: सीप्ज़-सेज़ के सदस्य के रूप में नामांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के विस्तार के संबंध में।

Sub: Extension of last date for submission of applications for nomination as Member of SEEPZ-SEZ Authority – reg.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में इस कार्यालय के परिपत्र सं. 07/2026 दिनांक 05.02.2026 का उल्लेख किया जाता है, जिसके माध्यम से SEEPZ-SEZ प्राधिकरण में व्यापार क्षेत्र से सदस्यों के नामांकन हेतु इकाई धारकों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। (प्रतिलिपि संलग्न)

Reference is invited to this office Circular No. 07/2026 dated 05.02.2026 on the above-mentioned subject, wherein applications were invited from unit holders for nomination as members from Trade in SEEPZ-SEZ Authority. (Copy Enclosed)

2. इस संबंध में सूचित किया जाता है कि आवेदन/इच्छा-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, जो 31.03.2026 निर्धारित की गई थी, अब बढ़ाकर 30.04.2026 कर दी गई है।

2. In this regard, it is informed that the last date for submission of willingness/application, which was 31.03.2026, has now been extended up to 30.04.2026.

3. उक्त परिपत्र में उल्लिखित अन्य सभी नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

3. All other terms and conditions mentioned in the aforesaid circular shall remain unchanged.

4. जो इकाई धारक नामांकन हेतु विचार किए जाने के इच्छुक हैं, उनसे निवेदन है कि वे निर्धारित प्रारूप में आवश्यक विवरण सहित अपनी इच्छा इस कार्यालय में दिनांक **30.04.2026** तक प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

4. The unit holders who are willing to be considered for nomination are requested to kindly submit their willingness along with the requisite details in the prescribed format to this office by **30.04.2026.**

5. यह सक्षम प्राधिकारी, सीप्ज़-सेज़ के अनुमोदन से जारी किया जाता है।	5. This issues with approval of the competent authority, SEEPZ-SEZ.

21/4/26

(जय मनोज शाह)
उप विकास आयुक्त,
सीप्ज़-सेज़, मुंबई

Encl. - As above

To,
All unitholders,
SEEPZ-SEZ, Mumbai

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096

Government of India
Ministry of Commerce & Industry
SEEPZ Special Economic Zone Authority
Andheri (E), Mumbai - 400096

वेबसाइट: www.seepz.gov.in | ई-मेल: dcseepz-mah@nic.in | टेलीफोन: 022-28290856/28294700

File No. SEEPZ-SEZ/ESTATE/NOMI/518/2016-17/ 05-02-2026

परिपत्र सं.07./2026
Circular No.07./2026

विषय: सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नामांकन हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में।

Sub: Regarding the Invitation of application for nomination as member as SEEPZ-SEZ Authority.

सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण, सीप्ज़-विशेष आर्थिक क्षेत्र में अवसंरचना के विकास एवं रखरखाव के लिए शासकीय निकाय है। प्राधिकरण में अध्यक्ष सहित 4 पदेन स्थायी सदस्य और व्यापार से 2 नामित सदस्य शामिल हैं। व्यापार से नामित वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल 28.07.2026 को समाप्त हो रहा है। अतः सीप्ज़-सेज़ में व्यापार से दो नए सदस्यों के नामांकन के साथ प्राधिकरण का पुनर्गठन किया जा रहा है।

SEEPZ-SEZ Authority is the governing body for development and maintenance of infrastructure in SEEPZ, Special Economic Zone. The Authority comprises of 4 ex-officio permanent members including chairperson and 2 nominated members from Trade. The tenure of the existing nominated members from Trade likely to expire by 28.07.2026. Therefore, the Authority is being reconstituted with fresh nomination of two members from the Trade in SEEPZ-SEZ.

यदि कोई यूनिट धारक चाहते हैं कि नामांकन के लिए उनके नाम पर विचार किया जाए, तो वे अपनी सहमति दिनांक 31.03.2026 तक या उससे पूर्व भेज दें। कृपया ध्यान दें कि नामित सदस्य को प्राधिकरण की बैठकों में नियमित रूप से उपस्थित होना होगा; बैठकों की सूचना पहले ही भेज दी जाएगी।

In case, the unit holder are willing to be considered for nomination, they should send their willingness on or before 31.03.2026. It may kindly be noted that the nominated member would be required to attend the meeting of the Authority on regular basis; a notice of the meetings will be send in advance.

केवल प्रबंध निदेशक / निदेशक (कंपनी के बोर्ड में सम्मिलित) / प्रबंध भागीदार

Only Managing Director /Director (on board of the company)

अथवा यूनिट के मालिक, जो दिनांक 10.09.2014 के निर्देश संख्या 82 (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार निर्धारित मानदंड/पात्रता को पूर्ण करते हों, नामांकन हेतु पात्र होंगे। नामांकन के प्रत्यायोजन की अनुमति नहीं है। निम्नलिखित परिस्थितियों के घटित होने पर नामित सदस्य को सदस्यता से त्यागपत्र दिया हुआ माना जाएगा :-

1. सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण से त्यागपत्र देने पर।

2. सदस्य की मृत्यु होने पर।

3. सदस्य के प्रतिनिधित्व वाले यूनिट द्वारा सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण को देय राशि के भुगतान में चूक होने पर।

4. सदस्य द्वारा प्राधिकरण की लगातार तीन बैठकों की कार्यवाही में अनुपस्थित रहने पर।

5. यदि ऐसे सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व वाले यूनिट के खिलाफ राज्य या केंद्र सरकार द्वारा उस समय लागू किसी भी कानून के उल्लंघन के लिए कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू हुई हो।

6. ऐसे सदस्य के प्रतिनिधित्व वाली यूनिट बीमार है, बंद है या लगातार 6 महीने से अधिक समय से निर्यात नहीं कर रही है और

7. सदस्य के प्रतिनिधित्व वाली यूनिट को जारी किया गया अनुमोदन पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा धोखाधड़ी, गलत बयानी आदि के कारण रद्द कर दिया गया हो।

यूनिट धारकों को सूचित किया जाता है कि अपनी सहमति तथा आवश्यक विवरण निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक संलग्न) में 31.03.2026 तक या उससे पूर्व प्रस्तुत करें। निर्धारित समय सीमा के पश्चात प्राप्त कोई भी आवेदन/सहमति नामांकन हेतु विचारार्थ स्वीकार नहीं की जाएगी।

यह अध्यक्ष, सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण के

(/Managing partner and proprietor of the unit fulfilling the parameters/criteria as per instruction no. 82 dt. 10.09.2014 (copy enclosed) would be eligible to be nominated, Delegation of the nomination is not permitted the nominated member shall be deemed to have vacated the membership on occurrence of the following :-

1. Resignation from the SEEP-SEZ Authority

2. Death of the member

3 . Unit represented by the member defaults is payment of dues to SEZ Authority concerned.

4. Member absent himself /herself in attending the proceedings of Authority of three consecutive meetings.

5. If any criminal proceedings in initiated against the unit represented by such member either by State or Central Govt. for violation of any law for time being in force.

6 . Unit represented by such member is sick, closed or has not been exporting for more than 6 consecutive months and

7. Letter of Approval issued to the unit represented by member is cancelled by Competent Authority for reason of fraud, misrepresentative etc.

Unit holder are hereby informed that the willingness and details may be submitted in the prescribed format (Annexure enclosed) on or before 31.03.2026. Any application/ willingness received beyond the prescribed time limit will not be considered for nomination.

This issue with the approval of

अनुमोदन से जारी किया जाता है।

Chairman, SEEPZ -SEZ Authority.

Digitally signed by
SANDIP DINKAR BHOSALE
Date: 05-02-2026
11:17:57

संदीप डी. भोसले / Sandip Dinkar Bhosale
उप विकास आयुक्त / Deputy Development Commissioner,
सीप्ज़-सेज़, मुंबई / SEEPZ-SEZ, Mumbai

क्रमांक **Sr. no.**	विवरण **Description**	टिप्पणी **Remarks**
1.	इकाई का नाम Name of the Unit	
2.	सदस्य के रूप में नामित किए जाने वाले सीईओ/एमडी का नाम Name of the CEO/MD to be nominated as a Member	
3.	इकाई का क्षेत्र Sector of the Unit	
4.	इकाई की स्थापना की तिथि और इकाई के एलओए की वैधता की तिथि Date of Establishment of the unit and date of validity of the LOA of the Unit	
5.	पिछले 3 वर्षों में किया गया कुल निवेश Total Investment made in the last 3 years	
6.	पिछले 3 वर्षों में किया गया कुल निर्यात Total export made in the last 3 years	
7.	इकाई द्वारा प्रत्यक्ष रोजगार सृजित Direct employment generated by unit	
8.	क्या इकाई के खिलाफ एफटीडीआर या एसईजेड अधिनियम 2005 के तहत कोई मामला लंबित है Is there any pending case against the unit under FTDR or SEZ Act 2005	
9.	अतिरिक्त. जानकारी यदि कोई हो Addl. Information if any	